उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-**6**

संख्या-**19/2020/1421/77-6-2020-5**(एम)/**2017**

लखनऊ: दिनांक 12 जून, **2020**

<u>अधिसूचना</u>

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018(यथासंशोधित)" के प्रस्तर- **3.2(1)** एवं प्रस्तर-**5** को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर-3.2(1) प्रदेश में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस) तथा/अथवा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो(आईसीडी) तथा/अथवा एयर फ्रेट स्टेशन्स तथा/ अथवा वेयरहाउसेज तथा/ अथवा कोल्ड चेन्स एवं संबंधित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हो, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।	प्रस्तर-3.2(1) प्रदेश में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तथा/अथवा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो(आईसीडी) तथा/अथवा एयर फ्रेट स्टेशन्स तथा/ अथवा वेयरहाउसेज तथा/ अथवा कोल्ड चेन्स एवं संबंधित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हो, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
प्रस्तर-**5** उत्तर प्रदेश सरकार 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किये गये लॉजिस्टिक्स पार्को को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।	प्रस्तर-**5** उत्तर प्रदेश सरकार 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किए गए लॉजिस्टिक्स पार्को को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

2- अधिसूचना संख्या-649/77-6-2018-एल.सी.4/18, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018(यथासंशोधित) इस सीमा तक संशोधित समझी जाए। शेष शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-**19/2020/1421(1)/77-6-2020-5**(एम)/**17**, तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।

(5) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, मॉल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(8) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/ उ0प्र0वित्तीय निगम।

(9) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

(10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0शासन।

(11) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in